



Ph.No. 0151 - 2543419 (O),  
2549348 (Fax)  
2240380 (Res.)  
09414138211 (M)  
Email: vcrajuvas@gmail.com



## RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

क्र. ११२/६  
Vice-Chancellor No.F( )VCS/RAJUVAS/RJT/2018/67

Dated: 07~03~2018

श्री संदीप कुमार,  
S/o श्री शिवदान सिंह  
गांव पोस्ट लांबा वाया बगड़,  
जिला—झुंझुनू (राज.)  
पिन—333023  
मो—9829899978

विषय:—अपील सं. 112/2018 श्री संदीप कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 07.02.2018 की प्रति सलंगन कर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है।

सलंगन:— निर्णय प्रति।

*Sdf*  
निजी सचिव  
कुलपति सचिवालय,  
राजूवास, बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 07.02.2018 की प्रति पालनार्थ/सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने का कष्ट करावें।

*Jenny*  
निजी सचिव  
कुलपति सचिवालय,  
राजूवास, बीकानेर



## RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

**Dr. B.R. Chhipa**  
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 112/2018

संदीप कुमार,  
पुत्र श्री शिवदान सिंह,  
गांव व पोस्ट लांबा,  
वाया बगड़ जिला  
झुन्झुनू (राज.)

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,  
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,  
बीकानेर

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 29.01.2018  
अपील में निर्णय की दिनांक 07.02.2018

### निर्णय

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक एफ.(941)/राजुवास/रजि./आर.टी.आई./2018/19 दिनांक 20.01.2018 जिसके द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर लेखाधिकारी (वित्त नियंत्रक) को संदाय नहीं होने के कारण आवेदन पत्र मय मूल पोस्टल ऑर्डर आवेदक को लौटाया गया के विरुद्ध अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 16.01.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी व आवेदन शुल्क के रूप में रु. 10/- (अक्षरे रुपये दस) का भारतीय पोस्टल आर्डर लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत किया गया। सूचना का अधिकार नियम 2012 के प्रावधान्तर्गत आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोस्टल आर्डर लेखाधिकारी (वित्त नियंत्रक) को संबोधित/संदाय कर प्रस्तुत नहीं किया गया होने के कारण कुलसचिव लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 19 दिनांक 20.01.2018 के द्वारा मूल आवेदन पत्र व भारतीय पोस्टल आर्डर आवेदक को लौटाया गया व संलग्न राजुवास द्वारा शुल्क संदाय की रीतियों के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.06.2014 की प्रति प्रेषित की गई। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित पत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

Cmt

Contd.

श्री सदोप कुमार  
5/0 श्री शिवदान सिंह  
गांव पोर्ट लांबा वाया बगड़,  
जिला-झंजूनू (राज.)  
पिन-333023  
मो-9829899978

अ-112/2018

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने वाले।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 16.01.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु संलग्न किये गये भारतीय पोर्टल ऑर्डर सं. 40F 842122 दिनांक 13.01.2018 राशि रु. 10/- का लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को संबोधित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के नियम 6 (क) अनुसार आवेदन शुल्क कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क की राशि रु. 10/- नकद जमा करवायी जा सकती है अथवा नियम 6 (ख) अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को संदेय मांग ड्राफ्ट (Demand Draft)/भारतीय पोर्टल आर्डर/बैंकर चैक प्रेषित कर शुल्क भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा परिपत्र दिनांक 20.06.2014 जारी कर कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं जिसकी फोटो प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित की जा रही है।

तदनुसार आप द्वारा प्रेषित मूल प्रार्थना पत्र मय उपरोक्तानुसार भारतीय पोर्टल ऑर्डर राशि रुपये 10/- पत्र के संलग्न लौटाये जा रहे हैं। परिपत्र दिनांक 20.06.2014 में वर्णित विधिक प्रावधानों अनुसार आवेदन पत्र जो कि लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को सम्बोधित हो नियमानुसार शुल्क सहित भिजवाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

यदि उपरोक्त कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन-334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार (मूल आवेदन पत्र

एवं भारतीय पोर्टल आर्डर)

अपीलार्थी द्वारा कुल सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्रांक 19 दिनांक 20.01.2018 से मूल आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोर्टल आर्डर के वापिस लौटाया गया होने से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के ई-मेल दिनांक 03.02.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 07.02.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी ने उपरिथित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि सूचना का अधिकार नियम 2012 में शुल्क के संदाय की रीतियों उल्लेखित है जिसमें लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में शुल्क की राशि नकद जमा करवाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/भारतीय पोर्टल आर्डर संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी को देय होने के स्पष्ट प्रावधान हैं, जबकि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 16.01.2018) के संलग्न आवेदन शुल्क के रूप में प्रस्तुत भारतीय पोर्टल आर्डर लोक सूचना अधिकारी को संबोधित कर प्रस्तुत किया गया है जो कि सूचना का अधिकार नियम 2012 में शुल्क संदाय की रीतियों के संबंध में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.06.2014 जिसमें शुल्क संदाय की रीतियों व भारतीय पोर्टल आर्डर/बैंकर चैक//डिमाण्ड ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, राजुवास, बीकानेर के अलावा किसी अन्य को संबोधित होने की रिस्ति में आवेदन पत्र

171

Contd.

मूल ही मय शुल्क वापिस लौटा दिया जाने का रपष्ट उल्लेख है की ओर ध्यान आकर्षित किया गया व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबोधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अद्योहरताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2012 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मूल आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क के रूप में लोक सूचना अधिकारी को संबोधित भारतीय पोर्टल आर्डर अपीलार्थी/आवेदक को वापिस लौटाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यावाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

P/c Attested

  
**Registrar**  
Rajasthan University of Veterinary  
& Animal Sciences, Bikaner

(वी.आर. छीपा )  
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
राजुवास, बीकानेर